

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(28)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 13-9-2019

:: आदेश ::

श्री गिरिजा शंकर शर्मा, विशिष्ट लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. मामलात) कोटा को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

३०

(चंचल मिश्रा)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
8. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा।
9. विशिष्ट न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एकट मामलात) कोटा।
10. जिला कलक्टर, कोटा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पद पर नियुक्ति हेतु श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा की अनुशंसा/परामर्श उपरान्त कम से कम 03 अधिकतम संभवतः 05 योग्य अभिभाषकों (जिन्हें 10 वर्ष से अधिक वकालत का अनुभव प्राप्त हो) का पैनल अविलम्ब अधिकतम 10 दिवस के अन्दर इस विभाग को प्रेषित करें साथ ही उक्त पद पर नवीन नियुक्ति होने या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अन्य लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक या विशिष्ट लोक अभियोजक को निर्देशित करते हुये इस विभाग को अवगत करावें।
11. कोषाधिकारी, कोटा।
12. संबंधित अभियोजक।
13. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
14. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
15. लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
16. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

(चंचल मिश्रा)  
शासन सचिव, विधि